धारा 166 : नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का संसद के समक्ष रखा जाना

इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम और सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि ऐसे नियम, विनियम या अधिसूचना को नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा, नियम, विनियम या अधिसूचना उसके पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस नियम, विनियम या अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।